न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 82 सन 2019
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र लिछमण जाति मेधवाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. राकेश पुत्र लिछमण जाति मेधवाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. मानाराम पुत्र आसाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमागनगढ
2. कविता पुत्री लिछमण जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमागनगढ
3. अमरी पुत्री मानाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमागनगढ
4. मंन्जू पुत्री मानाराम पत्नी लिछमण जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमागनगढ
5. जगदीश पुत्र मानाराम जाति मेघवाल साकिन श्योराणी तहसील नोहर जिला हनुमागनगढ
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता सायलान
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 06/02/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 160/172 के खसरा संख्या 29/5 की 2.189 , 31/2 की 0.9710हैक कुल 3.1600हैक्टयर भूमि में सायलान एवं गैरसायलान न0 2 बहिब 1/5 हिस्सा गैरसायलान न0 1 व 3 ता 5 बहिब 4/5 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 94/100 के खसरा 88 की 1.6440 , 100की 0.6580 ,424 की 0.3540 ,435 की 2.8080 , 435/472 की 2.2770हैक कुल 7.7410हैक भूमि में सायलान एवं गैरसायलान न0 2 बहिब, 1/45 हिस्सा गैरसायलान न0 1 व 3 ता 5 बहिब 4/45 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

सायलान एवं गैरसायलान संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न0 1 सायलान एवं गैरसायलान न0 2 का नाना व गैर सायलान न0 3 ता 5 का पिता है जो परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि गैरसायल न0 1 को विरास्तन से प्राप्त हुई है इसलिये विवादित भूमि पैतृिक जदी जायदाद है जिसमें गैरसायल न0 3 ता 5 एव मृतक कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ बहिब का हक व हिस्सा बनता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में सायलान एवं गैरसायल न0 2 बहिब के हकदार है कृष्णा पुत्री मानाराम पत्नी लिछमण फोत हो चुकी है कृष्णा पुत्री मानाराम पत्नी लिछमण के जायजं वारिस सायलान एवं गैरसायल न0 2 ही है।

विवादित भूमि पैतृिक जदी जायदाद है जो गैरसायल न0 1 को परिवार का मुखिया होने के कारण विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें गैरसायलान न0 3 ता 5 एवं मृतक कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक हिस्सा बनता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में सायलान एवं गैरसायल न0 2 बहिब के हकदार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायलान वाद भूमि में प्रार्थना पत्र [illegible] दर्ज हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायलान न0 1 अपने [illegible] का नाजायज फायदा उठाने के लिये अब बिना किसी आवश्यकता के [illegible] नुकसान पहुचानें के [illegible] विवादित भूमि को रहन बेय एवं मुतंकिल करने पर आमादा है यदि गैरसायल न0 1 अ[illegible]त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति सम्भव नही है इसलिये सायलान गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 160/172 के खसरा न0 29/5 की 2.1890हैक , 31/2 की 0.9710हैक कुल 3.1600हैक एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 94/100 के खसरा 88 की 1.644 ,100 की 0.6580 ,424 की 0.3540 ,435 की 2.8080 ,435/472 की 2.2770 कुल 7.7410हक भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि को रहन बैय एवं मुंतकिल ना करे ताफैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाने के आदेश फरमावें।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ता 4 को तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थि नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई एवं गैरसायल संख्या 1 ,5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

वाद भूमि में सायलान एवं गैरसायल संख्या 2 का कोई हक व हिस्सा नही है इनका कभी भी वाद भूमि में कब्जा नही रहा है ना ही किसी श्रेणी के टिनेन्ट है तथा सायलान व गैरसायल न0 2 किसी भी प्रकार से सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य नही है तथा दोहिते दोहितियो का नाना की भूमि में किसी प्रकार का बाई बर्थ राईट नही है ना हिन्दु विधि अनुसार उनका कोई हक व हिस्सा है पैतृ व जददी भूमि दादालाई ही होती है न कि नानालाई प्रार्थना पत्र में तथ्य गलत तौर से दर्ज किये गये है।

गैरसायल संख्या 1 की स्वयं पैदा करदा भूमि है जिसमें पिता के जीवनकाल में भूमि निकाली थी इसलिये गैरसायल न0 1 की निकाली हुई भूमि है जिसमें सायलान एवं गैरसायल न0 2 का कोई हक हिस्सा नही है ना ही सायला कोई हक हिस्सा वाद भूमि में पाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

गैरसायल न0 1 न अपनी पुत्री कृष्णा की शादी लिछमण के साथ की थी कृष्णा की मृत्यू सन्देहाप्रद स्थिति में हो गयी है ओर गैरसायल की दुरी पुत्री मन्जु के साथ लिछमण की शादी कर थी लिछमण शराब के नशे का आदि है उसे मन्जु को मारपीट कर घर से निकाल दिया है कृष्णा के पुत्र से दावा करवाकर वाद भूमि हडप करना चाहते है रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 154 व 94 में सयुक्त खाता की भूमि में मानाराम गैरसायल न0 1 रिकार्डड खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है कृष्णा , मन्जु 2005 से पूर्व फोत होने के कारण हिन्दु विधि अनुसार मृतक का कोई बाई बर्थ राईट नही होता है स्वयु पैदा करदा भूमि में अन्य को कोई हक हिस्सा नही होता है तथा सायलान व गैरसालान न0 2 किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है परेशान करने की नियत से वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त उतरदाता के पक्ष में अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारीज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 , 5 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योराणी के खाता संख्या 160/172 के खसरा संख्या 29/5 की 2.189 , 31/2 की 0.9710हैक कुल 3.1600हैक्टयर भूमि में सायलान एवं गैरसायलान न0 2 बहिबं 1/5 हिस्सा गैरसायलान न0 1 व 3 ता 5 बहिब 4/5 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 94/100 के खसरा 88 की 1.6440 , 100की 0.6580 ,424 की 0.3540 ,435 की 2.8080 , 435/472 की 2.2770हैक कुल 7.7410हैक भूमि में सायलान एवं गैरसायलान न0 2 बहिब, 1/45 हिस्सा गैरसायलान न0 1 व 3 ता 5 बहिब 4/45 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

सायलान एवं गैरसायलान संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न0 1 सायलान एवं गैरसायलान न0 2 का नाना व गैर सायलान न0 3 ता 5 का पिता है जो परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि गैरसायल न0 1 को विरास्तन से प्राप्त हुई है इसलिये विवादित भूमि पैतृिक जदी जायदाद है जिसमें गैरसायल न0 3 ता 5 एव मृतक कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ बहिब का हक व हिस्सा बनता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में [illegible] एवं गैरसायल न0 2 बहिब के हकदार है कृष्णा पुत्री मानाराम पत्नी [illegible] मानाराम पत्नी लिछमण के जायज वारिस सायलान एवं गैर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि पैतृिक जदी जायदाद है जो गैरसायल न0 1 को परिवार का मुखिया होने के कारण विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें गैर[illegible]लान न0 3 ता 5 एवं मृतक कृष्णा पुत्री मानाराम का जन्म से ही अपने पिता के साथ बहिब का हक हिस्सा बनता है एवं कृष्णा पुत्री मानाराम के हिस्सा में सायलान एवं गैरसायल न0 2 बहिब के हकदार है लेकिन राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में नाम दर्ज नही होने के कारण सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायलान वाद भूमि में प्रार्थना पत्र/वाद की मद संख्या 7 में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायलान न0 1 अपने नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिये अब बिना किसी आवश्यकता के सायलान को नुकसान पहुचानें के लिए विवादित भूमि को रहन बेय एवं मुतंकिल करने पर आमादा है यदि गैरसायल न0 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति सम्भव नही है इसलिये सायलान गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियां जाकर दिनांक 26.06.2019 जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म फरमावें।

गैरसायल न0 1 ,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि में सायलान एवं गैरसायल संख्या 2 का कोई हक व हिस्सा नही है इनका कभी भी वाद भूमिं में कब्जा नही रहा है ना ही किसी श्रेणी के टिनेन्ट है तथा सायलान व गैरसायल न0 2 किसी भी प्रकार से सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य नही है तथा दोहिते दोहितियो का नाना की भूमि में किसी प्रकार का बाई बर्थ राईट नही है ना हिन्दु विधि अनुसार उनका कोई हक व हिस्सा है पैतृ व जददी भूमि दादालाई ही होती है न कि नानालाई प्रार्थना पत्र में तथ्य गलत तौर से दर्ज किये गये है।

गैरसायल संख्या 1 की स्वयं पैदा करदा भूमि है जिसमें पिता के जीवनकाल में भूमि निकाली थी इसलिये गैरसायल न0 1 की निकाली हुई भूमि है जिसमें सायलान एवं गैरसायल न0 2 का कोई हक हिस्सा नही है ना ही सायला कोई हक़ हिस्सा वाद भूमि में पाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

गैरसायल न0 1 न अपनी पुत्री कृष्णा की शादी लिछमण के साथ की थी कृष्णा की मृत्यू सन्देहाप्रद स्थिति में हो गयी है ओर गैरसायल की दुरी पुत्री मन्जु के साथ लिछमण की शादी कर थी लिछमण शराब के नशे का आदि है उसे मन्जु को मारपीट कर घर से निकाल दिया है कृष्णा के पुत्र से दावा करवाकर वाद भूमि हडप करना चाहते है रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 154 व 94 में सयुक्त खाता की भूमि में मानाराम गैरसायल न0 1 रिकार्डड खातेदार काश्तकार है एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है कृष्णा , मन्जु 2005 से पूर्व फोत होने के कारण हिन्दु विधि अनुसार मृतक का कोई बाई बर्थ राईट नही होता है स्वय पैदा करदा भूमि में अन्य को कोई हक हिस्सा नही होता है तथा सायलान व गैरसालान न0 2 किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है परेशान करने की नियत से वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त उतरदाता के पक्ष में अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है सायलान का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारीज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायलान, जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान 1 ,5 व उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक है अथवा नही , दादालाई/नानालाई होने की स्थिति में सायलान का वाद भूमि में हक हिस्सा है अथवा नही।

हम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायलान को प्रथम दृष्टया आरांजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी दादालाई , नानालाई एवं स्वअर्जित सम्पति [illegible] पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य [illegible] निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है [illegible] परिवार के संदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र सालयान के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायल न0 1 ,5 इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायलान को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने आराजी पैतृक नहीं है नानालाई होना स्वीकार किया है यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायलान को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सालयान के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सालयान के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायलान का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में सालयान को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायलान को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायलान के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.06.2019 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2024 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested